05.07.2019

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त जावेद पुत्र निजामुद्दीन की ओर से मु0अ0सं0 570/2019 अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बीटा–2, जिला गौतमबुद्धनगर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के पास से चाकू बरामद किया जाना कहा गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है।

अभियोजन अधिकारी ने जमानत का विरोध किया।

सुना एवं प्रपत्रों को अवलोकन किया। अभियुक्त दिनांक 04.07.2019 से जेल में है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है।

## आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त जावेद द्वारा अंकन 30–30 हजार रूपये के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(नीलू मैनवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–द्वितीय
गौतमबुद्धनगर।